बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। संकल्प ।।

विषय :–केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु एक SPV कम्पनी "भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी" के MoA एवं AoA सहित गठन एवं योजना पर अनुमानित व्यय 1309.30 करोड़ (तेरह सौ नौ करोड़ तीस लाख) में से 463.21 करोड़ (चार सौ तिरसठ करोड़ इक्कीस लाख) एवं 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रूपया राज्यांश के रूप में व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 K-15016/157/2015-SC-I(Vol-II) दिनांक–25.05.16 द्वारा Smart City योजना के अन्तर्गत भागलपुर शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य भागलपुर शहर का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से भागलपुर शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता मे सुधार करना है। क्षेत्र–आधारित विकास (Area Based Development) एवं पूर्ण शहर आधारित विकास (Pan City Development) की योजनायें ली जायेगी। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहरी अवस्थापना और सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, की जानकारी और आंकड़ो का उपयोग कर सकेंगे। इससे यहाँ के नागरिकों का चहुँमूखी विकास, जीवन की गुणवत्ता सुधार, रोजगार के अवसर और सभी के लिए विशेष तौर से गरीबों और वंचितों की आय में वृद्धि हो सकेगा, जिससे भागलपुर शहर के समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु एक SPV कम्पनी **"भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी"** का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह SPV कम्पनी एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत होगी तथा इसका निबंधित कार्यालय भागलपुर शहर में अवस्थित होगा। कम्पनी का उद्देश्य भागलपुर शहर को 2020 तक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु कार्य योजना तैयार कराना, मूल्यांकन, स्वीकृति राशि की विमुक्ति, प्रबंधन, संधारण, अनुश्रवण तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यो को सम्पादित किया जाना है।

2. **योजना के लिये आवश्यक निधि के स्रोत फंडिग पैटर्न:–**

भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना की अनूमानित लागत राशि 1309.30 करोड़ रूपया है, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 926.41 करोड़ में 50:50 के अनुपात में होगा। राज्य सरकार को अपनी हिस्सेदारी की राशि 463.21 करोड़ के अतिरिक्त SPV के पंजीकरण हेतु 2.50 करोड़ रूपया का व्यय भार वहन करना होगा। Convergence of ongoing Govt. of India schemes and Govt. of Bihar Schemes and ULB own sources से 211.39 करोड़ तथा जन निजी भागीदारी (PPP) से 171.50 करोड़

C.E.O.
BHAGALPUR SMART CITY LIMITED

की धन राशि प्राप्त होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन को एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में चलाया जायेगा और केन्द्र सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षो में प्रति वर्ष 100 करोड़ रूपये की राशि दी जायेगी। इतनी ही राशि का योगदान, समान आधार पर, राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार, स्मार्ट सिटी विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रूपये की धनराशि सरकार/यूएलबी को उपलब्ध होगी। भारत सरकार की निधियां और राज्य सरकार द्वारा समान योगदान परियोजना लागत के एक भाग को पूरी कर पायेंगे। शेष निधियां निम्नलिखित से जुटाने की प्रत्याशा है:–

i. राज्यों/यूएलबी को अपने स्वयं के स्रोतों से जैसे प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण, लाभार्थी प्रभार और प्रभाव शुल्क, भूमि के मुद्रीकरण, उधार और ऋण आदि।

ii. चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों की स्वीकृति के कारण हस्तांतरित अतिरिक्त संसाधन।

iii. नवीकृत वित्तपोषण तंत्र जैसे यूएलबी की क्रेडिट रेटिंग के साथ नगरपालिका बांड, सामूहिक वित्त तंत्र, कर सवंर्धित वित्तपोषण (टीआईएफ)।

iv. केन्द्र सरकार की अन्य स्कीमें जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (ह्रदय)।

v. वित्तीय संस्थानों से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहित घरेलु और बाह्य दोनों स्रोतो से लीवरेज उधार बढ़ाकर।

vi. राज्य/संघ शासित प्रदेश राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ), जिसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 2015 के अपने बजट भाषण में की गई है और जिसके इसी वर्ष गठन की संभावना है, से भी सहायता ले सकते है।

vii. पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र।

3. <u>भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना के अधीन मदवार व्यय निम्न प्रकार होंगे:–</u>

भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना की अनुमानित लागत व्यय 1309.30 करोड़ रूपया है, जिसमें क्षेत्रीय आधारित विकास (Area based development) के व्यय हेतु 1106.70 करोड़ जबकि पेन सिटी के विकास हेतु 202.60 करोड़ रूपया कर्णाकित किया गया है:–

Area Based Development- Components Cost

i E- Governance, M-Governance- Rs. 18 crore

ii. River Front Development – Rs. 107.50 crore

iii Conservation of Built & Cultural Heritage – Rs. 21.1 crore

iv. Market Development & skill Training – Rs. 123 crore

C.E.O.
BHAGALPUR SMART CITY LIMITED

v . Rejuvenation of existing Large open spaces with added activities – Rs. 25.20 crore

vi. Recreation & Entertainment – Rs. 12.60 crore

vii Multimodal intelligent Public Transport System – Rs. 31.84 crore

viii. Improve vehicular movement & decongestion of roads – 138.50 crore

ix Encourage NMT and pedestrian safety – 25.10 crore

x 24 x 7 water supply – Rs. 45.55 crore

xi. Development of UG sewerage system with SBR-STP – Rs. 119.41 crore

xii Development of UG Storm water drains - Rs. 52.56 crore

xiii SWM system – Rs. 17.81 crore

xiv Robust Power Infrastructure – Rs. 114.26 crore

xv Robust IT Infrastructure – Rs. 54.60 crore

xvi Energy Efficiency, Pollution Control – Rs. 24.27 crore

xvii Urban Poor and Slums - Rs. 51.50 crore

Pan City Initiatives – Components Cost

i ITS – Command and Control Center – Rs, 31.4 crore

ii ITS – Intelligent Traffic management System (ITMS) – Rs. 65.8 crore

iii ITS - iBus Bhagalpur – Rs. 43 crore

iv ISWM – Rs. 44.05 crore

4. **कार्यान्वयन रणनीति :–**

नगर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए सृजित SPV कम्पनी भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के माध्यम से किया जायेगा। यह कम्पनी स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना, मूल्यांकन, अनुमोदन, निधियां के जारी, कार्यान्वयन, प्रबंध, संचालन निगरानी तथा आँकलन करेगा। इस SPV के अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर होंगे एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति बोर्ड द्वारा बिहार सरकार के परामर्शी से किया जायेगा। पूर्ण कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) की नियुक्ति/पदस्थापन होने तक नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम, कार्यवाहक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) के रूप में कार्य करेंगे। इसके बोर्ड में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि नामित होंगे। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी की कार्यान्वयन MoA एवं AoA में अंकित प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।

5. कम्पनी की अधिकृत पूँजी (authorized capital) 4,00,00,00,000(चार सौ करोड़ रू0 मात्र) जिसमें 100 रू0 के चार करोड़ शेयर होंगे। आवश्यकतानुसार पूँजी को घटाये या बढ़ाये जाने का प्रावधान रहेगा।

कम्पनी का प्राथमिक सूचीबद्ध मूल्य (Paid up capital) सूचीबद्ध होने के समय रूपये 10,00,000.00 (दस लाख) होगी, जिसमें संबंधित शहरी स्थानीय निकाय एवं राज्य सरकार बराबर के हिस्सेदार होंगे।

कम्पनी के शेयर होल्डर निम्नवत् होंगे।

क्रम सं0	शेयर होल्डर का नाम	शेयर की संख्या
1.	प्रतिनिधि, वित्त विभाग, बिहार सरकार।	1500
2.	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।	1500
3.	प्रमंडल आयुक्त, भागलपुर, बिहार सरकार।	500
4.	प्रबंध निदेशक, बुडको।	500
5.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद	500
6.	जिला पदाधिकारी, भागलपुर, बिहार सरकार।	500
7.	नगर आयुक्त, भागलपुर, नगर निगम।	5000

6. **भागलपुर** स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस निम्नवत् होंगे:–

i. प्रतिनिधि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

ii. प्रतिनिधि, वित्त विभाग, बिहार सरकार।

iii. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार।

iv. प्रमंडल आयुक्त, भागलपुर, बिहार सरकार।

v. नगर आयुक्त, भागलपुर, नगर निगम।

vi. दो स्वतंत्र निदेशक।

कम्पनी के AoA में अंकित शर्तो एवं प्रावधान के अधीन उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य निदेशकों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस में नियुक्त किया जा सकता है।

7. भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कर्मियों/पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार के नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

8. **अतः केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर शहर को Smart City के रूप में विकसित करने हेतु एक SPV कम्पनी "भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी" के MoA एवं AoA सहित गठन एवं योजना पर अनुमानित व्यय 1309.30 करोड़ (तेरह सौ नौ करोड़ तीस लाख) में से 463.21 करोड़ (चार सौ तिरसठ करोड़ इक्कीस लाख) एवं 2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रूपया राज्यांश के रूप में व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।**

C.E.O.
BHAGALPUR SMART CITY LIMITED

आदेश– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/ नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह0/–
(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :– 03/स्मार्ट सिटी–01–01/2016 1871 न0वि0एवंआ0पि0, दिनांक– 5/9/16

प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5/9/2016
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 03/स्मार्ट सिटी–01–01/2016 1871 न0वि0एवंआ0पि0, दिनांक– 5/9/16

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/2016
सरकार के प्रधान सचिव।

C.E.O.
BHAGALPUR SMART CITY LIMITED